न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु0 नं0	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
13/2021	09.06.2021	91 एल.आर.एक्ट	26.07.2021

सरकार ओमप्रकाश वगै0 पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी नाटास

26.07.2021पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नाटास द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम नाटास पटवार हल्का नाटास के भूमि खसरा नं0 117 रकबा 1.84 है0 गै0मु0 नदी के 0.01 है0 रकबे पर **ओमप्रकाश,अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी नाटास** ने मैदानी बोरिंग कर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का नाटास के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगणो की ओर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा अतिक्रमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा मौजा ग्राम नाटास के भूमि खसरा नं0 117 रकबा 1.84 है0 गै0मु0 नदी के 0.01 है0 रकबे पर किया गया अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थीगणो को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 बड़ागांव को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली पेश करें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.00 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 50/– रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का नाटास एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 26.07.2021को सुनाया गया।

26/7/21

उप तहसीलदार

नायब तहसीलदार, गुढ़ागौड़जी